उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–4755–औसं0/2017–116/ए0एस0/96 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवम् केस्को, कानपुर।

ई–मेल

विषयः–वर्ष 2015–2016 हेतु कारपोरेशन के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन ने **लेखा वर्ष 2015–2016 के लिए अपने पूर्ण कालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को शासन की अनुरूपता में तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धो सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है** :–

1. पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू0 4800/– तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरिक्षित वेतनमानों में अधिकतम रू0 13,500/– से कम है) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों जिन्हें उपरोक्त ग्रेड वेतन/वेतनमान से उच्च ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोननयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्थिति (स्टेट्स) में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ अनुग्रह धनराशि अनुमन्य होगी।
2. उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होने 31 मार्च 2016 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।
3. तदर्थ अनुग्रह राशि के लिये एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनाँक 31 मार्च 2016 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेगी।
4. दिनाँक 31 मार्च 2016 को वास्तविक औसत परिलब्धियाँ रू0 7000/– से ज्यादा होने की स्थिति में रू0 7000/– की परिकल्पित परिलब्धि मानकर दिनाँक 31 मार्च 2016 को 30 दिन की परिलब्धियाँ (7000X30/30.4=6907.89) अर्थात रू0 6908/– तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में अनुमन्य होगी।
5. ऐसे कर्मचारी, जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ अनुग्रह राशि का भुगतान ऐसे अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2015–2016 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमें में दण्ड दिया गया हो उन्हें तदर्थ अनुग्रह राशि देय न होगी।
6. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ अनुग्रह राशि के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षो में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।
7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह राशि की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपया में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

क्रमशः 2/–

8. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, जिन्होने दिनाँक 31 मार्च 2016 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातर कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होने दिनाँक 31 मार्च 2016 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनो अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240, दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिये मासिक परिलब्धियॉ रू0 1200/– प्रतिमाह मानी जायेगी। और इस प्रकार तदर्थ अनुग्रह राशि की देय धनराशि रू0 1200 X 30/30.4=1184.21 अर्थात रू0 1184 पूर्णांकित होंगी परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियो रू0 1200/– प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ अनुग्रह राशि की वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।

9. सभी श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को अनुग्रह धनराशि की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते/सी0पी0एफ0 में (जैसी भी स्थिति हो) जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि/सी0पी0एफ0 खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा पब्लिक प्राविडेंट फण्ड (पी0पी0एफ0) में जमा किया जायेगा। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनाँक 31 मार्च 2016 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा दिनाँक 30 अप्रैल 2017 तक सेवानिवृत्त होने वाले हो उनको अनुमन्य धनराशि का भुगतान नकद दिया जायेगा।

10. वर्ष 2015–2016 हेतु पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान पर आये वित्तीय भार को कारपोरेशन के आय–व्ययक 2017–2018 के नामे डाला जायेगा।

11. अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकृत पत्र (लेटर आफ अथारिटी) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होंगी और कारपोरेशन के उक्त आदेश के आधार पर ही वर्ष 2015–2016 हेतु अनुग्रह धनराशि का भुगतान ग्राह्य होगा। कृपया उक्त निर्णयानुसार निधि आवंटन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

अध्यक्ष

संख्या–4755–(1) औ0सं0/2017/तद्‌दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (उ0प्र0 उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0) के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ को सूचनार्थ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन) एवं (निधि प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
10. कम्पेनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. अधीक्षण अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
13. कट फाइल।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)